C.S 34/16

में प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं होने से उनकी फोटोप्रतियां ही पत्रावली पर पेश किए जाने बाबत वादीगण का कथन रहा है तथा अब प्राप्त होने पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है। प्रकरण अभी साक्ष्य वादी की स्टेज पर ही नियत है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों पर उभय पक्षकारान को पूर्ण रूप से जिरह करने का अवसर रहेगा, यदि इस स्तर पर उक्त प्रमाणित प्रतियों को प्रकरण में रिकार्ड पर लिया जाता है तो प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है बल्कि प्रकरण के न्याय निर्णयन में ही सहायता प्राप्त होगी। हालांकि उक्त प्रमाणित दस्तावेज प्रार्थीगण की ओर से काफी विलम्ब से पेश किए गए है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में प्रस्तुत किए जा रहे प्रमाणित दस्तावेजों को हर्जे पर रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थनापत्र दिनांक 22.08.2025 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1000/- रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रिकार्ड पर ली जाती है। हर्जा अदायगी प्राथमिक शर्त रहेगी। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 2/7/26 को पेश हो।

(सरिता धाकड़)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम-2, कोटा

2-7-26 पत्रावली प्रस्तुत। पक्षकारान [illegible] उपस्थित। वादी की ओर से प्रतिवादी को 1000/- रुपए [illegible] [illegible] साक्ष्य वादी हेतु [illegible] आगामी पेशी पर गवाह [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 8.7.26 को पेश हो।

1000/- cost paid Deliv[illegible]

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-2, कोटा (राज.)